बिहार विधान परिषद् सचिवालय

पटना-800015

आवश्यक सूचना

(विज्ञापन संख्या-01/2025)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के चालक संवर्ग के अंतर्गत चालक संवर्ग में चालक एवं संदेशवाहक/मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या-01/2025 का प्रकाशन बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा किया गया है, जिसे परिषद् सचिवालय के वेबसाईट https://vidhanparishad.bihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं-

1.	ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक-29.09.2025 को 05:00 बजे अप० से
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	दिनांक-29.09.2025 को 05:00 बजे अप० से
3.	ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन की अंतिम तिथि	दिनांक-20.10.2025 को 11:59 बजे अप० तक
4.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक-22.10.2025 को 11:59 बजे अप० तक

नोट:-

1. उपर्युक्त विज्ञापन के संबंध में विस्तृत सूचना/विवरणी एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु निर्देश बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट https://vidhanparishad.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है।
2. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व वेबसाईट पर प्रदर्शित विस्तृत विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक एवं विस्तृत निर्देश का भली-भांति अध्ययन कर लेंगे।
3. उपरोक्त पदों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन अलग से किया जायेगा, जिसे बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट पर देखा जा सकता है।
4. उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन आवेदन के संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दिनांक-30.09.2025 से हेल्पलाइन नम्बर-08407875820 पर सोमवार से शुक्रवार 10:00 बजे पूर्वा० से 05:00 बजे अप० तक की अवधि से सम्पर्क किया जा सकता है।
5. blcsrecruitment@gmail.com पर ई-मेल भेज कर उपर्युक्त से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

25/9/25

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

पटना-800015
विज्ञापन संख्या-01/2025

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के चालक संवर्ग के अंतर्गत चालक संवर्ग में चालक एवं संदेशवाहक/मैसेंजर संवर्ग में कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती के लिए सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाईन (Online) आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1.ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं-

1.	ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन प्रारंभ करने की तिथि	दिनांक-29.09.2025 को 05:00 बजे अप० से
2.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रारंभ तिथि	दिनांक-29.09.2025 को 05:00 बजे अप० से
3.	ऑनलाईन पंजीयन/आवेदन की अंतिम तिथि	दिनांक-20.10.2025 को 11:59 बजे अप० तक
4.	परीक्षा शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि	दिनांक-22.10.2025 को 11:59 बजे अप० तक

नोट:- चालक एवं कार्यालय परिचारी के पद के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के कार्यक्रम के संबंध में सूचना का प्रकाशन बिहार विधान परिषद् के वेबसाईट पर कर दिया जायेगा।विज्ञापित पदों की संख्या आवश्यतानुसार घट या बढ़ सकती है। बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना या इसका कारण बताए एक या सभी पदों के लिए पूरी भर्त्ती प्रक्रिया/विज्ञापन या किसी चरण को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. अनुमान्य आरक्षणवार औपबंधिक रिक्तियों का विवरण:-

क्र० सं०	पद का नाम	वेतनमान/ वेतन स्तर	आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या							पदों की कुल संख्या	दिव्यांग	स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग			
			35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं हेतु आरक्षित पद									
1	चालक	लेवल-02	04	02	0	01	01	0	01	09	0	0
			01	01	0	01	0		01	04		
2	कार्यालय परिचारी	लेवल-01	05	02	01	02	02	01	02	15	01	0
			01	01	0	01	0		01	05	(VI)	

3. शैक्षणिक योग्यता:- ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत् शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक को ऑनलाईन आवेदन पत्र के विहित कॉलम में शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनवार्य होगा-

क्र.	पदनाम	सातवां पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन स्तर	शैक्षणिक /तकनीकी योग्यता
1	चालक	लेवल-02 (19,900-63,200) + नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते	• मैट्रिक पास या समकक्ष • हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान • वैध ड्राइविंग लाईसेंस(एल.एम.वी./एच.एम.वी.) धारक • साईकिल चलाने की क्षमता
2	कार्यालय परिचारी	लेवल-01 (18,000-56,900) + नियमानुसार अनुमान्य अन्य भत्ते	• मैट्रिक पास या समकक्ष • हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान • साईकिल चलाने की क्षमता।

4. आरक्षण:-

i. जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। **ऑनलाईन आवेदन में भरा गया स्थायी पता(स्थायी निवास) ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा।**

ii. ऑनलाईन आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

iii. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाईन आवेदन के संबंधित कॉलम में करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति के समय वही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

iv. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या-673, दिनांक-08.03.2011 के आलोक में ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

(a) जाति प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यथियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)
(b) स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र

ऑनलाईन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए:-

(a) जाति प्रमाण पत्र
(b) स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण-पत्र
(c) क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यथियों के लिए अपने पिता के स्थायी पता से निर्गत प्रमाण-पत्र)

v. आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम से।

25/9/25

vi. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवासी/मूल निवास (डोमिसाइल) प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

vii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं.-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। **विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परंतु, इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाये कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जायेगा। इस विज्ञापन हेतु वर्ष 2023-24 के आधार पर EWS प्रमाण-पत्र मान्य होंगे।**

viii. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

ix. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक-12575, दिनांक-09.07.2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य की मूल निवासी (आरक्षित वर्ग को भी) महिलाओं को ही इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा।

x. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी के रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 2 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-11687, दिनांक-30.08.2016 के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से उपलब्ध होना चाहिए(स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिचय पत्र मान्य नहीं हैं)

xi. उपर्युक्त आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र परिषद् कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावा के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बिहार विधान परिषद् सचिवालय द्वारा निर्धारित तिथि होगी।

अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन करते समय किये गये दावे के अनुसार सभी प्रमाण-पत्रों का प्रमाण-पत्र वार नम्बर, तिथि एवं निर्गत करने वाले सक्षम प्राधिकार का पदनाम ऑनलाईन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य है। Document Verification के समय ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रमाण-पत्रों को ही मूल में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, उससे भिन्न निर्गत संख्या वाले प्रमाण-पत्रों को मान्य नहीं किया जायेगा।

सभी वांछित प्रमाण-पत्र ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

xii. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-16144, दिनांक-28.11.2012 के आलोक में नियुक्ति की जारी प्रक्रिया के बीच आरक्षण कोटि में सुधार / बदलाव नहीं किया जा सकता है।

5.उम्र सीमा:-

i. न्यूनतम आयु- दिनांक—01.01.2025 को न्यूनतम उम्र 18 (अट्ठारह) वर्ष।

ii. अधिकतम आयु:- अनारक्षित (पुरूष)-37 वर्ष, अनारक्षित (महिला)/पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला)-40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(पुरूष एवं महिला)-42 वर्ष आवेदक की अधिकतम उम्र ऑनलाईन आवेदन के अंतिम तिथि को अधिकतम उम्र सीमा से कम आयु होना चाहिए।

परिषद् सचिवालय द्वारा Matriculation या समतुल्य प्रमाण-पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य की जायेगी।

25/9/25

iii. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 के आलोक में सरकारी सेवकों को जो 03 (तीन) वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, उच्चतर वेतनमान की सेवा / संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05(पांच) वर्षों की छूट अनुमान्य होगा।

iv. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2447, दिनांक-06.03.1990 के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

6. परीक्षा की पद्धति –

(क) चालक के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु निम्न चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी-

चालक के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु दो चरणों में जांच/परीक्षा ली जायेगी- (1) लिखित परीक्षा (2) चालन कौशल एवं ट्रेड जांच(प्रायोगिक)परीक्षा।

i.लिखित परीक्षा-

(क) चालक के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु लिखित परीक्षा **OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) होंगे।**

(ख) लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे:-

- सामान्य अंक गणित
- सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित
- सामान्य हिन्दी

(ग) कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

ii.लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- **सामान्य अंक गणित- 30 प्रश्न**

➢ लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ-हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात।

- **सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं यातायात के नियम से संबंधित- 40 प्रश्न**

➢ संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थ-व्यव्स्था, मानचित्र अध्ययन।

➢ संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र-राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।

➢ मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।

➢ भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।

➢ प्रकाश-परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्त्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।

➢ समसामयिक घटनायें

➢ यातायात के नियम से संबंधित।

25/9/25

- **सामान्य हिन्दी- 30 प्रश्न**

➢ संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय ।

➢ 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न।

iii.अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स):-

➢ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 के आलोक में परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।

➢ लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही अगली चरण की परीक्षा चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक) में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी ।

➢ लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उपलब्ध आरक्षण कोटिवार रिक्तियों के 10 (दस) गुणा अभ्यर्थियों का अगले चरण की परीक्षा के लिए चयन किया जाएगा।

➢ समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।

➢ वैसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यथियों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

iv.चालन कौशल एवं ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा

➢ चालक के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अभ्यर्थी को चालन कौशल में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। चालन कौशल में उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा 50 अंको की ली जायेगी।

➢ चालन कौशल परीक्षा में असफल घोषित अभ्यर्थी चालक के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु योग्य नहीं होंगे।

v.मेधा सूची- लिखित परीक्षा तथा ट्रेड जांच (प्रायोगिक) परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। भर्त्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच/परीक्षा के योग्य नहीं होंगे।

(ख) कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु लिखित परीक्षा ली जायेगी-

i.लिखित परीक्षा-

(क) कार्यालय परिचारी के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु लिखित परीक्षा **OMR उत्तर-पुस्तिका आधारित (वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय) होंगे।**

(ख) लिखित परीक्षा में निम्नांकित विषय होंगे:-

- सामान्य अंक गणित
- सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान
- सामान्य हिन्दी

(ग)कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। परीक्षा में भाषा का माध्यम हिन्दी/अंग्रेजी होगा। सामान्य अंक गणित एवं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हिन्दी के साथ अंग्रेजी में भी मुद्रित रहेंगे। अगर हिन्दी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी, तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। सामान्य हिन्दी विषय के प्रश्न सिर्फ हिन्दी (देवनागरी लिपि) में मुद्रित रहेंगे।

25/9/25

ii.लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

- **सामान्य अंक गणित- 30 प्रश्न**
- ➢ लघुत्तम समापवर्त्य (LCM), महत्तम समापवर्तक (HCF), वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल, घनमूल, प्रतिशतता, लाभ-हानि, बट्टा, बिक्रीकर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समानुपात एवं प्रतिलोम समानुपात।
- **सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान- 40 प्रश्न**
- ➢ संसाधन एवं उसके प्रकार, वन एवं वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि एवं फसलें, खनिज एवं उर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था, मानचित्र अध्ययन।
- ➢ संघवाद, भारत की संघीय व्यवस्था, केन्द्र-राज्य संबंध, भारत की भाषा, लोकतंत्र एवं विविधता, भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता, राजनीतिक दल।
- ➢ मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, व्यापार और भूमंडलीकरण, अर्थव्यवस्था और आजीविका।
- ➢ भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, भारत में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद।
- ➢ प्रकाश-परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंगबिरंगा संसार, विद्युत, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उर्जा के स्त्रोत, रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त्त, जैव प्रक्रम, जीव का प्रजनन, आनुवांशिकता एवं जैव विकास, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन।
- ➢ समसामयिक घटनायें।
- **सामान्य हिन्दी- 30 प्रश्न**
- ➢ संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द-शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय ।
- ➢ 10वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक के गद्य खंड एवं काव्य खंड के अंश, रचनाकार पर आधारित प्रश्न।

iii.अर्हक अंक (क्वालीफाइंग मार्क्स):-

- ➢ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या-2374, दिनांक-16.07.2007 एवं पत्रांक-6706, दिनांक-01.10.2008 के आलोक में परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32% अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जायेंगे।
- ➢ समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को मेधा सूची में ऊपर रखा जाएगा।
- ➢ वैसे अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग/किसी राज्य सेवा आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिए जाने का आदेश पारित किया गया हो। अभ्यथिर्यों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर बिहार विधान परिषद् सचिवालय का निर्णय अंतिम होगा।

iv. मेधा सूची- लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी।

7.परीक्षा शुल्क-

(क) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या- ज्ञापांक-21/आयोग-02/2018, सा०प्र०-15568/पटना, दिनांक-21.08.2025 के आलोक में बिहार विधान परिषद् सचिवालय में उक्त पदों पर ऑनलाईन आवेदन समर्पित करने हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मात्र 100/- (एक सौ) रूपये निर्धारित किया जाता है।

(ख) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाईन अवेदन करते समय Credit/Debit Card/UPI के माध्यम से करेंगे। भुगतान में अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित शुल्क भी देना होगा जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वत: बैंक चार्ज ले लिया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाईन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

25/9/25

8.ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से संबंधित अन्य निर्देश निम्नांकित हैं-

(क) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के पूर्व उक्त दिशा निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लेंगे तथा ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में सभी सूचनाएँ सही-सही एवं सुस्पष्ट अंकित करेंगे। ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक (विस्तृत) निर्देश का अक्षरश: अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गयी प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए परिषद् सचिवालय जिम्मेवार नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के सुधार/परिवर्तन हेतु अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाईन आवेदन में भरी गयी सूचनाओं को मूल प्रमाण-पत्र/अंक पत्रों से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(ख) ऑनलाईन आवेदन में अंकित Email Id, Mobile Number तथा प्राप्त User Name एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेवारी होगी। इसे वे अंतिम परीक्षाफल प्रकाशन तक सुरक्षित रखेंगे।अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के क्रम में अपना ही कार्यरत मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. अंकित करेंगे।

(ग) इंटरनेट या बैंकिंग व्यवधान के लिए परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा। अत: अभ्यर्थी अंतिम तिथि एवं समय का इंतजार नहीं करेंगे एवं उसके पूर्व ही सभी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे।

(घ) अभ्यर्थी हाल का अपना एक फोटोग्राफ तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर स्कैन कर ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित स्थान में अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी संतुष्ट हो लेंगे कि अपलोड किया गया फोटोग्राफ तथा हस्ताक्षर का इमेज सुस्पष्ट है।

(ङ) इस प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि आवेदन भरते समय जो फोटोग्राफ उनके द्वारा आवेदन पत्र पर अपलोड किया जा रहा है, उसकी कम-से-कम पाँच अतिरिक्त प्रतियाँ वे अपने पास सुरक्षित रखेंगे ताकि आवश्यकता पड़ने पर या परिषद् सचिवालय द्वारा मांगे जाने पर उनके द्वारा जमा किया जा सके।

(च) ऑनलाईन भुगतान में किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान/गलत भुगतान/असफल भुगतान Unsuccessful Payment/Transaction Status Failure/ Transaction Status Pending के लिए परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा।

9.महत्वपूर्ण निर्देश -

(क) अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुन: Login कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध "Download Filled Application" से भरा आवेदन डाउनलोड कर उसकी दो प्रति निश्चित रूप से प्रिन्ट करेंगे। विज्ञापन से संबंधित वर्णित सभी प्रमाण-पत्र/कागजात की प्रति अवश्य सुरक्षित रखेंगे। परषिद् सचिवालय द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को उक्त हार्ड कॉपी एवं सभी संबंधित प्रमाण-पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। हार्ड कॉपी पर Application Number के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

(ख) आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र, नियुक्ति की तिथि के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने हेतु परिषद् सचिवालय स्वतंत्र रहेगी।

(ग) आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण-पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध है।

(घ) इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएँ परिषद् सचिवालय के वेबसाईट https://vidhanparishad.bihar.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी, समाचार पत्रों में अलग से प्रकाशन अपेक्षित नहीं होगा।

(ङ) उपर्युक्त विज्ञापन से संबंधित ऑनलाईन भरने हेतु विस्तृत निर्देश परिषद् सचिवालय के वेबसाईट https://vidhanparishad.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इस विज्ञापन के लिए निर्धारित ऑनलाईन आवेदन से अलग, मुद्रित, अंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(च) आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन में सभी प्रविष्टियाँ सावधानी से भरी जायेगी। भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन/सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु परिषद् सचिवालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(छ) किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा भवन में ले जाना वर्जित होगा।

25/9/25

(मिथिलेश कुमार झा)
उप सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक
बिहार विधान परिषद्